सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

15 JYESHTH, 1945 (S)

No. 326 **RANCHI, MONDAY 5th JUNE, 2023**

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

5th June, 2023

Notification No.- 7/2023 – State Tax

S.O. No. 21, Dated 5th June, 2023 -- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in Column (3) of the Table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in Column (2) of the Table below, who fails to furnish the return by the due date, namely:—

Table

Serial Number	Class of registered persons	Amount
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Registered persons having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the relevant financial year.	Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or Union territory.
2.	Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and up to twenty crore rupees in the	Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or Union territory.

	relevant financial year.	

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

2. This notification shall be deemed to be effective from 31st Match, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

(Vipra Bhal)
Secretary,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 जून, 2023

अधिसूचना सं०.7/2023- राज्य कर

एस. ओ. सं. 21, दिनांक 5 जून, 2023 - झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2)में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों, जो देय तारीख पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3)में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रतिदिन।
2.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन

	करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है।	रहते हुए पचास रुपए प्रतिदिन।

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते है किन्तु 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में संदेय विलंब शुल्क की कुल रकम का अधित्यजन कर दिया जाएगा जो 10 हजार रुपए से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(विप्रा भाल)

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 326 -- 50